

M-440
27/10/05

R-11295-
14/10/04
दिनांक.....को प्राप्त।

राजस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/99

प्रस. नं. REGD. NO. D. L. - 33004/99
शासपत्र बि.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O - 450
K.M - 30
DEPT - 200
CPB - 220

सं. 452]
No. 452]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

सा.का.नि. 675(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुनर्विलोकन समिति के सदस्य की अर्हताओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों के लिए अर्हता नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, "सदस्य" अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पठित पुनर्विलोकन समिति का सदस्य अभिप्रेत है।

3. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को पुनर्विलोकन समिति, के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती, जो,—

(क) ऐसा अधिकारी है या रहा हो जो भारत सरकार के सचिव पंक्ति से नीचे का न हो; और

(ख) विधिक मामले/आपराधिक न्याय प्रशासन का एक वर्ष का अनुभव रखता है।

[फा. सं. I-17014/72/2004-आईएस-VII]

एल. सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2004

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (2) of Section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules regulating the qualifications of members of the Review Committee, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Qualifications for the members of the Review Committee Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, "member" means a member of the Review Committee constituted under Sub-section (1) of Section 37 of the Act.

3. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person as member of the Review Committee who is, or has been,—

(a) an officer not below the rank of Secretary to the Government of India; and

(b) has one year experience in legal affairs/ administration of criminal justice.

[F. No. I-17014/72/2004-IS-VII]

L. C. GOYAL, Jr. Secy.